राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प. 18(1)नविवि/विविध/2021लूज़ जयपुर, दिनांकः– 09 JUN 2022

सचिव,
जयपुर/अजमेर/जोधपुर विकास प्राधिकरण,

सचिव,
राजस्थान आवासन मण्डल,
राजस्थान, जयपुर।

सचिव,
नगर विकास न्यास,
अलवर/आबू/बीकानेर/भीलवाड़ा/भरतपुर
बाड़मेर/कोटा/जैसलमेर/श्रीगंगानगर/
उदयपुर/सीकर/सवाईमाधोपुर/पाली/चित्तौड़गढ़।

विषयः– मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा बजट वर्ष 2020–21, 2021–22 एवं इस बजट में घोषित नवीन मण्डियों एवं मिनी फूडपार्क के लिए सरकारी भूमि का निःशुल्क आवंटन करने के संबंध में।

प्रसंगः– माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बजट भाषण दिनांक 23.02.2022 की घोषणा संख्यां– 169 के बिन्दु संख्यां–**VI** के क्रम में।

महोदय,

निर्देशानुसार उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा बजट वर्ष 2020–21, 2021–22 एवं इस बजट में घोषित नवीन मण्डियों एवं मिनी फूडपार्क के लिए सरकारी भूमि का निःशुल्क आवंटन करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बजट भाषण दिनांक 23.02.2022 की घोषणा संख्या– 169 के बिन्दु संख्या–**VI** के क्रम में 07 कार्य दिवस में स्थान चिन्हित् करते हुए राज्य सरकार को प्रस्ताव भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करावें।

सलंग्नः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(नवनीत कुमार)
संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय

प्रतिलिपीः– वरिष्ठ उप शासन सचिव, को वेबसाईट पर अपलोड किए जाने हेतु।

7/6/2022

संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय

169. इसी भावना के साथ कृषि एवं कृषि आधारित उद्योग को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से –

(i) कृषि आधारित MSME इकाइयों की स्थापना/विस्तार (expansion) हेतु मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत Interest Subsidy को 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत करना प्रस्तावित है।

(ii) मंडी शुल्क/आवंटन शुल्क आदि की **"ब्याज माफी योजना–2019"** सफल रही है। अब इस योजना की अवधि बढ़ाकर 30 सितम्बर, 2022 तक करना प्रस्तावित करता हूँ।

(iii) इसी तरह "राज्य के बाहर से आयातित कृषि प्रसंस्करण (Agriculture Processing) प्रयोजनार्थ कृषि जिन्स एवं चीनी पर बकाया मण्डी शुल्क माफी योजना" के तहत बकाया राशि जमा कराने की अवधि बढ़ाकर 30 सितम्बर, 2022 करना प्रस्तावित है।

(iv) मंडी प्रांगणों में वर्ष 2010 के पूर्व के व्यापारियों के लम्बित प्रार्थना पत्रों का आरक्षित दर पर भूखण्ड आवंटन किये जाने की घोषणा करता हूँ।

(v) राज्य के मण्डी प्रांगणों में आवंटित भूखण्डों पर निर्माण की अवधि बिना शास्ति 30 सितम्बर, 2022 तक बढ़ाने की घोषणा करता हूँ।

(vi) बजट वर्ष 2020–21, 2021–22 तथा इस बजट में घोषित नवीन मण्डियों एवं मिनी फूडपार्क के लिये सरकारी भूमि का निःशुल्क आवंटन किया जायेगा।

https://finance.rajasthan.gov.in